



2026:AHC:56486

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 10893/2026

जीशान खान एवं 2 अन्यआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यविपक्षी पक्ष (गण)

आवेदक के अधिवक्ता: शुभम केसरवानी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : जी.ए., मो. फैज सिद्दीकी

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम केसरवानी उपस्थित हुए और तर्क दिया कि एफ.आई.आर. विपक्षी संख्या 2 द्वारा दर्ज कराई गई है, जो आवेदक संख्या 1 की पत्नी और आवेदक संख्या 2 और 3 की बहू है। 30.08.2019 की एफ.आई.आर. में आरोप वैवाहिक प्रताड़ना के हैं और यह कि आवेदक संख्या 3 ने विपक्षी संख्या 2 के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उन्होंने सूचित किया कि मुकदमा जारी है। मुकदमे के दौरान ही पक्षों के बीच समझौता हो गया है, जो आवेदन के पृष्ठ-56 पर संलग्न है। उनका कहना है कि यह मूल रूप से एक वैवाहिक विवाद है, जिसे गंभीर और जघन्य अपराध का रंग दे दिया गया है। अतः, वे समझौते के आधार पर आरोप पत्र दिनांक 19.10.2019, संज्ञान आदेश दिनांक 29.11.2019 और केस संख्या 7716/2019 (राज्य बनाम जीशान खान एवं अन्य), जो केस अपराध संख्या 278/2019, धारा 498-ए, 323, 504, 506, 307, 376 आईपीसी और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर से उत्पन्न हुआ है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अदालत में लंबित है, की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद फैज सिद्दीकी उपस्थित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि यह वैवाहिक विवाद है जिसके आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। उन्होंने पक्षों के बीच हुए समझौते के तथ्य को स्वीकार किया।
3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों ने अपने व्यक्तिगत विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, इसलिए वे कथित आपराधिक कृत्य का न्यायिक निर्णय नहीं चाहते हैं और प्रार्थना की कि समझौते के अनुपालन में उक्त आपराधिक मामले को रद्द कर दिया जाए।
4. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि यदि पक्ष दी गई परिस्थितियों में समझौता दाखिल करने के लिए विचारण न्यायालय (निचली अदालत) का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 10 SCC 741 के मामले में अनुभव के आधार पर यह टिप्पणी की थी कि वैवाहिक विवाद में होने वाले घरेलू झगड़ों में घर के सभी सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा, कहकशां कौसर उर्फ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य (2022) 6 SCC 599 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498-ए के दुरुपयोग और पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित किया है।
6. मधुकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, जो 2025 एससीसी आनलाइन एससी 1415 (प्रासंगिक पैराग्राफ 5, 6 और 7) में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 द.प्र.स. (अब धारा 528 B.N.S.S. के तहत) के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति पर विचार किया है। इसमें यह माना गया है कि अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। आगे यह भी अवलोकन किया गया है कि धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है और सामान्यतः पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने को हतोत्साहित किया जाता है और इसे हल्के में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसी दृढ़ विश्वास के साथ, दूसरी ओर, यह माना गया कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 द.प्र.स. के तहत अदालत की शक्ति सीमित नहीं है और इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह अवलोकन तब किया गया है अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जब पक्षों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं तथा एफ.आई.आर. उसी प्रतिक्रियात्मक प्रभाव का परिणाम है। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मुकदमे को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसके विपरीत, यह केवल सभी संबंधितों, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के कष्ट को बढ़ाएगा और परिणाम की संभावना के बिना अदालत पर बोझ डालेगा।

7. क्या पक्षों (सूचनाकर्ता, पीड़ित और अभियुक्त) के बीच समझौता हुआ है, इसका सबसे अच्छा निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में, पक्ष तीस दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर समझौता दाखिल कर सकते हैं, जिसका सत्यापन विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। विचारण न्यायालय मूल समझौते को अपने रिकॉर्ड में रखेगा।
8. यदि सूचनाकर्ता, पीड़ित और अभियुक्त हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं और सत्यापन के लिए अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपात स्थिति में, विचारण न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करेगा।
9. दो महीने की अवधि के लिए, विचारण न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी, यदि निर्धारित अवधि के भीतर समझौता दाखिल और सत्यापित किया जाता है; अन्यथा, विचारण न्यायालय मुकदमा जारी रखेगा।
10. वे सभी पक्ष, जो समझौता दाखिल करते हैं और उसका सत्यापन कराते हैं, फिर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का आह्वान करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करेंगे।
11. उपरोक्त के आलोक में, धारा 528 बीएनएसएस / 482 द.प्र.स. के तहत आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

शिवांगी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।